

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 103/2014
संस्थित दिनांक-21/4/14

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म०प्र०)अभियोजन

वि रू द्ध

- 1— रवि उर्फ कल्लू पिता सरनाम जाटव,
उम्र-25 साल
- 2— विनोद पिता सरनाम जाटव
उम्र-30 साल
- 3— भारती पिता विनोद जाटव,
उम्र-28 साल
- 4— रामदुलारी पत्नी सरनाम जाटव,
निवासीगण ग्राम भंवरपुरा,{फरार}
थाना मौ जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
.....आरोपीगण

न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद एस.के. तिवारी के द्वारा
उनके न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 194/2014 मे
दिनांक 27/3/2014 को पारित उपार्पण आदेश से उद्भूत सत्र
प्रकरण।

राज्य द्वारा ए०जी०पी० श्री भगवान सिंह बघेल
अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

(निर्णय)

(आज दिनांक 28/8/2014 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 498-ए, 304 बी भा०द०वि० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोप है कि उन्होने दिनांक 12/10/2013 को शाम 5 बजे एवं उसके पूर्व ग्राम भंवरपुर थाना मौ स्थित मृतिका संगीता को ससुराल में रहते समय विवाह के 7 वर्ष के भीतर पति एव पति के नातेदार रहते हुए दहेज में मोटर साइकिल की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा

जिसके फलस्वरूप उसकी सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में फांसी लगने से मृत्यु कारित हुई जो कि दहेज मृत्यु की श्रेणी में आती है ।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतिका संगीता का विवाह आरोपी रवि के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक-27 अप्रैल 2012 को हुआ था एवं मृतिका संगीता की मृत्यु ससुराल में रहते हुए फांसी द्वारा हुई ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि 12/10/13 के शाम के करीब 5 बजे सरनाम की बहू संगता अपने मकान के कच्चे कमरे में स्वयं की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी । संगीता के घरवालों ने उसे उतारकर आंगन में रख लिया । इस घटना की कोटवार सोहदावा खां ने पुलिस को सूचना दी जिसपर से थाना मौ द्वारा मर्ग 38/13 कायम किया गया । जांच एस.डी.ओ.पी. गोहद अमरनाथ वर्मा द्वारा की गयी । जांच के दौरान मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा लाश, शादी कार्ड व पी.एम. रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा मौका एवं मृतिका के पिता, मां चाचा, चाची के कथन लिये गये एवं जांच में उपलब्ध साक्ष्य से मृतिका संगीता को ससुराल में पति रवि, जेठ विनोद, सास रामदुलारी, जेठानी भारती द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहना पाया गया । उक्त प्रताड़ना के चलते मृतिका की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अंदर फांसी लगाकर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होने के आधार पर धारा 304 बी एवं 498-ए भा0द0वि0 एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिशेष अधिनियम का अपराध पाए जाने से प्रदर्श पी 13 की एफआईआर दर्ज की जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु जेएमएफसी न्यायालय गोहद में पेश किया गया ।
4. जेएमएफसी एस.के. तिवारी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 194/2014 आदेश दिनांक 27/3/14 के द्वारा मामला सत्र विचारण का होने से धारा 209 द0प्र0सं0 के तहत उपार्पित किया जो कि मा0 सत्र. न्यायाधीश महोदय सत्र खण्ड भिण्ड के अंतरण आदेश के द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।
5. प्रस्तुत किए गए अभियोग पत्र एवं उसके साथ सलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 498-ए ,304-बी भा0द0वि0 एवं

धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोप लगाए गए आरोपीगण द्वारा अपराध से इंकार कर विचारण चाहने पर विचारण किया गया आरोपीगण ने धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है ।

6. प्रकरण में विचाराधीन आरोपों के निराकरण हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है —

- 1— क्या मृतिका संगीता को आरोपीगण ने ससुराल में रहने के दौरान मोटरसायकिल दहेज में लाने की मांग की थी ?
- 2— क्या आरोपीगण ने मृतिका से उसके पति व पति के नातेदार रहते हुए दहेज में मोटर साइकिल की मांग की ?
- 3— क्या, आरोपीगण ने दहेज की मांग पूर्ति ना होने पर मृतिका के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता का व्यवहार किया ?
- 4— क्या मृतिका की मृत्यु दिनांक—20/12/2013 को शाम करीब 5 बजे ग्राम भंवरपुरा थाना मौ के अंतर्गत ससुराल में रहते हुए सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में कारित हुई ?
- 5— क्या, मृतिका संगीता की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई ?
- 6— क्या, मृतिका संगीता को आरोपीगण ने जो उसके पति और पति के नातेदार होकर सास, जेठ और जेठानी होते हुए मृत्यु पूर्व क्रूरता एवं उत्पीड़न किया ?
- 7— क्या, आरोपीगण ने उक्त क्रूरता एवं उत्पीड़न दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ किया था ?
- 8— क्या, मृतिका आराधान की मृत्यु दहेज मृत्यु की श्रेणी में आती है ? यदि हां तो दण्ड ?

7. अभियोजन की ओर से प्रकरण में शौहदाव खां (अ०सा० 1), बी.एच. परिहार (अ०सा० 2), सरनाम (अ०सा० 3), सियासरण (अ०सा० 4) मीना (अ.सा.—5), हरजूलाल (अ.सा.—6), बैकुण्ठी बाई (अ.सा.—7), डॉ. आर. विमलेश (अ.सा.—8), एवं एस.डी.ओ.पी. अमरनाथ वर्मा (अ०सा० 09) की साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं हुई है ।

—::—निष्कर्ष के आधार :-विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 01 लगायत—08 का निराकरण

8. उक्त विचारणीय विंदु का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
9. यह सुस्थापित विधि है कि आपराधिक मामले में अभियोजन पर ही मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार होता है और बचाव पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ अभियोजन नहीं उठा सकता है । जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **प्रहलाद विरुद्ध म.प्र.राज्य आई.एल.आर. 2011 एम.पी. पेज—489** में भी प्रतिपादित है इसलिये यह मामला भी अभियोजन को ही उक्त सिद्धांत मुताबिक प्रमाणित करना है ।
10. विचाराधीन धारा—304 बी भा.द.वि.के अपराध के लिए **साक्ष्य अधिनियम की धारा—113 बी के अवयवों की पूर्ति होना आवश्यक है** और अभियोजन का ऐसा तर्क है कि शव परीक्षण रिपोर्ट एवं क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर उक्त तत्वों की पूर्ति प्रकरण में होती है । इसलिये खण्डन का भार आरोपीगण पर है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में जो आरोप लगाये गये हैं, उनके संबंध में जो साक्ष्य पेश की गयी, उसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा—113 बी में बतलाए अवयव तत्वों की कोई पूर्ति नहीं होती है और मामला पूरी तरह से संदिग्ध है जिसका आरोपीगण लाभ पाने के पात्र हैं ।
11. धारा—113 बी साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा तभी बनायी जा सकती है जबकि यह दर्शित किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्तिद्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गयाथा, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण रहा था । उक्त धारा—113 बी के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (ख) में उल्लेखित है । इस संबंध में

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **बबलू उर्फ जामसिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य 2009 भाग-3 एम.पी.वीकली नोट शोर्ट नोट-65** में धारा-113 (बी) साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दहेज की मांग तथा मृत्यु पर आधारित कूरता के प्रभव के मध्य निकट तथा सही कड़ी का अस्तित्व होना चाहिये, यदि ऐसा स्थापित नहीं होता है तो दहेज मृत्यु की उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है ।

12. धारा-304 (बी) भा.द.वि.के अपराध के लिए जिन आवश्यक तत्वों का प्रमाणित होना आवश्यक है उनमें निम्न लिखित पांच तत्व हैं :-

1. संबंधित महिला की मृत्यु जलकर अथवा ऐसी शारीरिक चोट द्वारा अथवा सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हो ।
2. मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हो ।
3. महिला को परेशान किया गया हो और उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो ।
4. ऐसा व्यवहार पति या पति के संबंधियों द्वारा किया गया हो और
5. वह कूरता अथवा उत्पीड़न दहेज के लिए की गयी हो तथा अपराध पूर्ण होता है । जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **श्रीमती शांतिबाई विरुद्ध हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 1991 एस.सी.पेज-1226** में बतलाया गया है ।

13. विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक प्रकरणों में आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पर होती है और यह कभी भी आरोपी पर शिफ्ट नहीं होती, इसलिये प्रकरणों में यह मानकर चला जाता है कि आरोपी तब तक निर्दोष है, जबकि वह दोषी सिद्ध ना हो जाये, तो हर संदेह का लाभ आरोपी को दिये जाने का मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **विजय सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1990 पेज-1459** में दिया गया है, इसलिये हस्तगत प्रकरण में भी प्रमाण भार अभियोजन पर ही रहेगा एवं न्याय दृष्टांत **भागीरथ विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1976 सु.को.**

पेज-975 में भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन जो कहानी लेकर चलता है वह उसे स्वयं साबित करनी चाहिये। आरोपी के बचाव की कमी का फायदा नहीं ले सकता है ।

14. परीक्षित साक्षियों में से ग्राम छेंकुरी के चौकीदार शौहदाव खां अ.सा.-1, उपनिरीक्षक डी.एस. परमार अ.सा.-2, सरनाम अ.सा.-3, मृतिका के पिता सियाशरण अ.सा.-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में मृतिका श्रीमती संगीता की लाश का सफीना फॉर्म प्र.पी.-3 और लाश पंचायतनामा प्र.पी.-4 पुलिस द्वारा तैयार करना बताया है । जिन्हें अ.सा.-2 ने तैयार करना कहा है । लाश पंचायतनामा की लिखापट्टी नायब तहसीलदार डी.एस. मार्य द्वारा की जाना बताया है, जिसके संबंध में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं, जिससे उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से प्रदर्श पी.-3 सफीना फॉर्म और प्र.पी.-4 लाश पंचायतनामा मृतिका संगीता के संबंध में बनाया जाना और उक्त साक्षियों की राय में मृतिका श्रीमती संगीता की मृत्यु फांसी से होना बतायी गयी है ।
15. परीक्षित चिकित्सक डाक्टर आर. बिमलेश ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक-13/10/2013 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुए मृतिका संगीता पत्नी रवि उम्र 19 साल निवासी भंवरपुरा के शव को लाये जाने पर उसका दोपहर 2:50 बजे शव परीक्षण करना बताया है, जिसका आंतरिक और बाह्य परीक्षण करने पर मृतिका के आंतरिक अंग स्वस्थ पाये तथा उसके गले पर लिगलेचर मार्क के निशान पाये थे, जो थाइराइड कार्टिलेज से शुरू होकर दांये बांये दोनों ओर ऊपर की तरफ जाकर कान के नीचे की हड्डी एवं गर्दन के कुछ हिस्सों में मौजूद थे । पेट फूला हुआ था तथा नाक के दोनों नथुनों से रक्त मिश्रित दृव्य बह रहा था । चेहरा कालापन लिये हुए सूजा था, उसकी श्वास नली में तरल पदार्थ मौजूद था, जिसकी उसने शव परीक्षण उपरांत प्रदर्शी पी.-12 के शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी ।
16. उक्त चिकित्सक ने मृतिका संगीता की मृत्यु शव परीक्षण से 36 घण्टे के भीतर की बताते हुए प्रकृति आत्महत्यात्मक स्वरूप की गले में फांसी के फंदे से उत्पन्न एक्सफिक्सिया और श्वसन तंत्र की विफलता के कारण होना बतायी है । उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य में कोई अन्यथा तथ्य

नहीं आये हैं और उसके मृत शरीर में मृत्यु पश्चात की अकड़न भी समाप्त हो गयी थी, जिसके आधार पर उसने परीक्षण से 36 घण्टे के भीतर की मृत्यु बतायी है । यदि मृत शरीर में राइगर नोटिस अर्थात् मृत्यु पश्चात की अकड़न विद्यमान रहती है तो मृत्यु 12 से 24 घण्टे के अंतर की वह बताता ।

17. इस तरह से उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य से मृतिका संगीता की मृत्यु 24 से 36 घण्टे के दरम्यान की होना चिकित्सीय अभिसाक्ष्य से परिलक्षित होती है, जो आत्महत्यात्मक स्वरूप की थी । अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना प्रदर्श पी.-1 की मार्ग सूचना लेखबद्ध कराना चौकीदार शौहदाव खां अ.सा.-1 ने बताया है, जिसने घटनास्थल ग्राम भंवरपुरा मृतिका की ससुराल बताया है । घटना मृतिका संगीता की ससुराल में होने के संबंध में मृतिका के ससुर सरनाम अ.सा.-3, पिता सियाशरण अ.सा.-4, माता मीना अ.सा.-5, चाचा हरजूलाल अ.सा.6 और चाची बैकुण्ठी अ.सा.-7 ने भी बताया है । जिससे संगीता के साथ हुई घटना ससुराल में रहने के दौरान घटित हुई है । किन्तु यह विचारणीय प्रश्न रहेगा कि क्या मृतिका द्वारा ससुराल में रहते हुए स्वयं को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त दहेज की मां या उसकी प्रताड़ना के तहत कर ली गयी ? यह प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितियों से देखना होगा ।

18. आर्टिकल ए का विवाह का निमंत्रण पत्र प्रदर्श पी.-14 के जप्ती पत्रक मुताबिक विवेचक एस.डी.ओ.पी. अमरनाथ वर्मा अ.सा.-9 ने अपनी अभिसाक्ष्य में करना बताया है और उसका समर्थन सियाशरण अ.सा.-4 ने भी करते हुए शादी का काडी उससे जप्त करना बताया है । आर्टिकल ए के निमंत्रण पत्र के संबंध में बचाव पक्ष का कोई अन्यथा तर्क या आधार नहीं है । आर्टिकल ए के निमंत्रण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतिका संगीता का आरोपी रवि के साथ विवाह हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक-27 अप्रैल 2012 को उसके मायके वाले निवास ग्राम करीला जिला दतिया से हुआ था और घटना दिनांक-12/10/2013 की होना मार्ग सूचना प्रदर्श पी.-1 से एवं एफ. आई.आर. प्र.पी.-13 से लाश पंचायतनामा प्र.पी.-4 से होती है, जिससे यह बिन्दु भी प्रमाणित हो जाता है कि मृतिका संगीता की मृत्यु विवाह पश्चात ससुराल में रहते हुए विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य से अन्यथा

परिस्थितियों में घटित हुई है ।

19. प्रकरण में अभियोजन की ओर से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर परेशान व प्रताडित करने के कारण मृतिका संगीता द्वारा स्वयं को फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर लेने का आक्षेप किया गया है किन्तु इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं आयी है । क्योंकि परीक्षित साक्षियों में से मृतिका के मायके वाले परिजन अर्थात् पिता सियाशरण अ.सा.—4, माता मीना अ.सा.—5, चाचा हरजूलाल अ.सा.—6, चाची बैकुण्ठी बाई अ.सा.—7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि संगीता ससुराल में अच्छे से रहती थी । उसके ससुराल वालों की कभी कोई शिकायत उनसे नहीं की ।

20. इस बात से उन्होंने इंकार किया कि ससुराल में संगीता के पति रवि, जेठ विनोद, सास रामदुलारी, जेठानी भारती ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कभी की, ना ताने दिये । ना ही इस संबंध में संगीता ने उन्हें बताया और संगीता शादी के बाद 5—6 बार उनके यहां आयी गयी और उसका पति रवि भी रक्षाबंधन के बाद उसे लेकर गया था और उन्होंने स्वेच्छा से भेजा था । ससुराल में आरोपीगण अच्छे से रखते थे और संगीता रवि के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी । उन्होंने मृत्यु का कारण यह बताया है कि रवि और उसके भाई विनोद उदयपुर राजस्थान में संगमरमर की घिसाई का काम करते थे तथा घटना वाले दिन भी उदयपुर में थे और रवि ने उदयपुर में जहर खा लिया था, जिसकी जानकारी संगीता को हाने पर उसने सदमे में आकर फांसी लगा ली थी क्योंकि संगीता अपने पति से बेहद प्रेम करती थी । अभियोजन ने इस बिन्दु का कोई खण्डन नहीं किया है और उक्त चारों साक्षी विचाराधीन आरोपों के लिए सर्वाधिक महत्व के साक्षी हैं । क्योंकि वे मृतिका के मायके पक्ष के होकर माता—पिता, चाचा चाची हैं, जिन्होंने अभियोजन के आक्षेपों का कोई समर्थन न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया है ।

21. अभियोजन द्वारा उन्हें पक्ष विरोधी भी घोषित किया गया जिनसे पूछे गये सूचक प्रश्नों में अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य नहीं आये हैं, जिससे दहेज की मांग या उसके लिए शारीरिक या मानसिक रूप से मृतिका को

आरोपीगण के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आक्षेप खण्डित होता है । सियाशरण ने प्रदर्श पी.-8, मीना ने प्र.पी.-9, हरजूलाल ने प्र.पी.-10 और बैकुण्ठी ने प्र.पी.-11 के ए से ए भाग के पुलिस कथन पुलिस को देने से स्पष्टतः इंकार किया है और संगीता के द्वारा फांसी लगाने के कारण रवि के जहर खाने की सूचना मिलने पर रंज में आकर फांसी लगा लेना कहा है, जिससे अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में धारा-113 बी साक्ष्य विधान के तहत अभियोजन के पक्ष में कोई उपधारणा आरोपीगण के विरुद्ध निर्मित नहीं होती है, जो कि धारा-304 बी भा.द.वि के आरोप के प्रमाण हेतु आवश्यक है ।

22. साक्षीगण सरनाम अ.सा.-3, पिता सियाशरण अ.सा.-4, माता मीना अ.सा.-5, चाचा हरजूलाल अ.सा.6 और चाची बैकुण्ठी अ.सा.-7 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से आया है कि संगीता का विवाह हुआ था तब कोई दहेज की मांग नहीं की गयी, ना ही बाद में की गयी और उनके अभिसाक्ष्य से केवल घटना ससुराल में रहने के दौरान घटित होना ही परिलक्षित होता है । इससे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 03 का कोई उल्लंघन होना भी स्थापित नहीं होता है तथा विवाह पश्चात और मृत्यु दिनांक के मध्य भी मृतिका संगीता या उसके परिजनों से आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल या कोई अन्य वस्तु की मांग की जाना भी प्रमाणित नहीं है । ऐसे में अभिलेख पर धारा-498 – ए भा.द.वि. के प्रमाण के लिए आवश्यक अवयवों की पूर्ति उपलब्ध साक्ष्य से नहीं होती है ।

23. चौकीदार शौहदाव खां अ.सा.-1 के अभिसाक्ष्य से भी केवल इस बात की पुष्टि होती है कि संगीता की मृत्यु होने पर उसे सुगर सिंह के द्वारा घटना की सूचना दी गयी और वह घटनास्थल पर गये, जहां उसे आरोपीगण मौजूद मिले । फिर उसने पुलिस को सूचना दी । पुलिस ने आकर सफीना फॉर्म और लाशपंचनामा की कार्यवाही करायी और नक्शा मौका प्र.पी.-2 तैयार किया । जिसके तैयार कर्ता बी.एस. परिहार अ.सा.-2 से भी संपुष्टि होती है । जिससे भी केवल घटना ससुराल में ही प्रमाणित होती है । अन्य कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है ।

24. घटना के विवेचक एस.डी.ओ.पी. अमरनाथ वर्मा अ.स.-9 ने

अपने अभिसाक्ष्य में मर्ग जांच उपरांत जांच में आये तथ्यों के आधार पर प्र.पी.—13 की एफ.आई.आर. आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करना और अग्रिम अनुसंधान में मृतिका के विवाह का निमंत्रणपत्र प्र.पी.—14 के द्वारा जप्त करने के अलावा आरोपीगण की गिरफ्तारी करना और साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना बताया है किन्तु विवेचक की कार्यवाही का घटना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी मृतिका के मायके के परिजन में से किसी ने कोई समर्थन नहीं किया है, जिससे मामला संदिग्ध है और उक्त विवेचक की अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप की हो जाती है तथा उससे प्रदर्श पी.—13 की एफ.आई.आर. के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं ।

25. इस तरह से उक्त साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर मृतिका संगीता की मृत्यु आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग करने, मांग पूर्ति ना होने पर उसे पति व पति के नातेदार होते हुए शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किए जाने और उसी के फलस्वरूप फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना कतई प्रमाणित नहीं होता है । फलतः मामला पूरी तरह से संदिग्ध है ।
26. फलतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए धारा 498—ए, 304 बी भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है ।
27. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।
28. प्रकरण में आरोपिया रामदुलारी अभी फरार है, अतः अभिलेख एवं संपत्ति सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित हो ।

दिनांक: 28 अगस्त 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड